& F.D.

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पार्थवी, आर०ए०एस०

करण संख्या : 36 / 14

GCMS id : 2017/00027

छीतरलाल आत्मज गोपीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम फाटाखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत काल्याखेडी जर्ये सरपंच, ग्राम पंचायत काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद वास्ते घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 राज० टी० एक्ट

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड

निर्णय

दिनांक : 31.10.2022

1. कृषि आराजी पर खातेदारी घोषणा के अनुतोष हेतु यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।
2. वादी की ओर से पेश उक्त वाद में निवेदन किया गया कि :–

* दौराने सेटलमेन्ट ग्राम फाटाखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी के निम्नानुसार खसरा नम्बर व रकबा कायम किया गया –

संवत 2016–2024		संवत 2038–2057		सेटलमेन्ट उपरान्त कायम	
खसरा सं.	रकबा	खसरा सं.	रकबा	खसरा सं.	रकबा
204 / 19	8 बीघा 9 बिस्वा	19 का 24	8 बीघा 9 बिस्वा	24 का 39	1.30 हैक्टर
34	1 बीघा 12 बिस्वा	41	1 बीघा 12 बिस्वा	41, 42, 52, 57 का 59	2.09 हैक्टर
35	1 बीघा 15 बिस्वा	42	1 बीघा 15 बिस्वा		
242 / 45	2 बीघा 8 बिस्वा	45 का 52	2 बीघा 14 बिस्वा		
244 / 45	16 बिस्वा				
49	8 बीघा 14 बिस्वा	57	8 बीघा 14 बिस्वा		
किता–6	23 बीघा 13बिस्वा	किता–5	23 बीघा 4 बिस्वा	किता–2	3.39 हैं०

* उक्त आराजीयात पर वादी का 70 वर्षो से पीढी दर पीढी निरन्तर एव अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है और उक्त आराजीयात दिनांक 29.07.1959 को माफी खेल भराई से मुक्त हो चुकी है किन्तु प्रतिवादी की लापरवाही से उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में माफी खेल भराई के नाम ही दर्ज चली आ रही है।

वादी विवादित भूमि को कानूनन अपने नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है जिसके लिये वादी ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष कई बार निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा वादी की प्रार्थना पर कोई अमल नहीं किया गया।

* वादी द्वारा दिनांक 30.03.2006 को जर्ये अधिवक्ता एक सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० का राज्य सरकार को प्रेषित किया गया जो राज्य सरकार को प्राप्त हो गया किन्तु उक्त नोटिस की मियाद गुजर जाने के पश्चात भी आज तक उनके द्वारा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी के खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित नहीं किया।

* विवादित आराजीयात की जमाबन्दी संवत 2033–36 एवं संवत 2013–2016 के कॉलम संख्या 4 में माफी खेल भराई ग्राम पंचायत एवं समस्त पंचान का नाम दर्ज किया गया है इसलिये उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत काल्याखेडी भी आवश्यक पक्षकार है।

* रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज नहीं होने की वजह से उसे राज्य

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) को.1

सरकार से खातेदार को दी जाने वाली सुविधाओं व लाभों से वंचित होना पड रहा है। वह उक्त आराजी के विकास हेतु बैंकों से ऋण आदि सुविधाओं व मुआवजा प्राप्त करने से वंचित है।

* वाद कारण दिनांक 29.07.1959 को विवादित भूमि माफी खेल भराई से मुक्त हो जाने के बाद प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते दर्ज नहीं करने व अन्तिम बार दिनांक 30.03.2006 को वादी द्वारा नोटिस दिये जाने व नोटिस की अवधि गुजर जाने उपरान्त भी वादी के खाते दर्ज नहीं किये जाने पर माननीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

* अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रदान की जावे कि वादी को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और प्रतिवादी नम्बर–1 को वादी के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

* वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 39, 59 रकबा 3.39 हैक्टर से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये :–

प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2016–2024, वर्तमान खसरा नम्बर 24, 41, 42, 52, 57

प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057, गत खसरा नम्बर 24, 41, 42, 52, 57

प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2060–2063, खसरा नम्बर 39, 59

प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2033–2036, खसरा नम्बर 24, 41, 42, 52, 57

प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2013–2016

3. प्रतिवादी क्रम–1 राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा की ओर से जवाब दावे पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि –

❖ राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम फाटाखेडा के खसरा नम्बर 39, 59 कुल किता–2 रकबा 3.39 हैक्टर माफी खेल भराई, ग्राम फाटाखेडा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2060–63 संलग्न है।

❖ जमाबन्दी संवत 2033–2036 ग्राम फाटाखेडा के खसरा नम्बर 24, 41, 42, 52, 57 कुल किता 5 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा माफी खेल भराई, ग्राम पंचायत सा देह फाटाखेडा दर्ज रिकार्ड है।

❖ वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई की है जिस पर कोई खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है।

❖ वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त भूमि खेल भराई से मुक्त हुई हो और ना कोई आदेश या नामान्तरकरण पेश किया जिससे भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज रेकॉर्ड रही हो।

❖ प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी खसरा नम्बर 39, 59 रकबा 3.39 हैक्टर जमाबन्दी संवत 2064–2067 माफी खेल भराई ग्राम फाटाखेडा दर्ज है।

❖ इस कारण वादी को खातेदारी दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि ग्राम के पशुओं के पानी पिलाई हेतु खेल भरने के स्वरूप में ये भूमि कार्य में ली जाती है।

❖ अतः नियम, परिपत्रों, उपनियमों को ध्यान में रखते हुये उचित कार्यवाही फरमाई जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त –

❖ न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 39, 59 के मौका व रिकार्ड की स्थिति के बारे में मौका पर्चा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार विवादित भूमि छीतरलाल पुत्र गोपीलाल, जाति गुर्जर निवासी फाटाखेडा के कब्जे काश्त है तथा वर्तमान में भी उसके द्वारा ही काश्त कराई जा रही है। मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी माफी खेल भराई दर्ज है।

4. पत्रावली के पूर्ण अवलोकन करने पर हम पाते है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्व में दिनांक 12.05.2010 को निर्णय किये जाने तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 30.07.2010 द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त से प्रकरण में "तनकीयात" कायम नहीं हुये है परन्तु दावे के विधिसंगत निस्तारण हेतु तनकी कायम किया जाना उपयुक्त व आवश्यक समझते है। अतः वादपत्र तथा जवाब दावा व मौका पर्चा रिपोर्ट के कथनों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम किये गये –

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

31/ सहायक कलक्टर (मुख्यालय) को 1

& F.D.

(i) आया विवादित आराजी दिनांक 29.07.1959 को माफी खेल भराई से मुक्त हो चुकी है। –(वादी)

(ii) आया वादी विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है। –(वादी)

(iii) आया विवादित आराजी प्रारम्भ से ही माफी खेल भराई दर्ज रही है। –(प्रतिवादी)

(iv) अनुतोष ?

5. सरकार की ओर से तत्कालीन नायव तहसीलदार द्वारा वादी छीतरलाल से की गई जिरह में शपथ उपरान्त कथन किया कि –

- यह बात सही है कि दावे में संलग्न नकल जमावन्दी संवत 2013–2016, 2033–2036, 2060–2063 में उल्लेखित विवादित भूमि माफी खेल भराई चाकरी देह समस्त पंचान ग्राम फाटाखेडा के नाम दर्ज है।
- उक्त जमावन्दियों में मेरा उपकृषक या कृषक के रूप में नाम दर्ज नहीं है।
- मेरे द्वारा जो गिरदावरी संवत 2034–2037 पेश कर रखी है, उसके कॉलम नं–5 में माफी खेल ग्राम पंचायत साकिन देह दर्ज है।
- किसी सरकारी आदेश से माफी खेल भराई के हट जाने सम्बन्धी कोई आदेश परिपत्र शामिल नहीं किया गया है।
- खेल को मेरे पूर्वज भरते रहे है। वर्तमान में खेल भराई बन्द है। कोई नहीं भरता है।

6. प्रकरण पर वादी अभिभाषक की वहस सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम फाटाखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 39, 59 रकबा 3.30 हैक्टर पर वादी व पूर्वजों का 70 वर्षो से अधिक समय से पीढी दर पीढी निरन्तर एवं अवाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। जमाबन्दी संवत 2013–2016 के अनुसार दिनांक 29.07.1959 को उक्त आराजी माफी खेल भराई से मुक्त हो चुकी है। इसके बाद वादी द्वारा उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने का निवेदन करने पर भी आज तक वादी के खाते दर्ज नहीं की गई है। अतः निवेदन है कि वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7. बहस अन्तिम सुने जाने के उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय किये जाते है –

(i) *आया विवादित आराजी दिनांक 29.07.1959 को माफी खेल भराई से मुक्त हो चुकी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादी द्वारा वादपत्र की मद संख्या 2 में अंकित किया है कि उक्त आराजीयात दिनांक 29.07.1959 को माफी खेल भराई से मुक्त हो चुकी है, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संवत 2013–2016 से होती है।
- उक्त कथन के सम्बन्ध में विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत 2013–16 (प्रदर्श–5) के अवलोकन अध्ययन अनुसार जमाबन्दी में भूमि अधिकारी के कॉलम–4 में माफी खेल भराई चाकरी दर्ज है तथा इसके नीचे अंकित पुनग्रहण अधिनियम सन् 1952 के अन्तर्गत तत्कालीन 23 बीघा 13 बिस्वा आराजी पुनग्रहण किये जाने तथा चार्ज लिये जाने का नोट अंकित है।
- विवादित आराजी के कायम नये खसरा नम्बर की जमाबन्दी संवत 2033–2036 (प्रदर्श–4) तथा जमाबन्दी संवत 2060–2063 (प्रदर्श–3) के अनुसार भी उक्त आराजी माफी खेल भराई, ग्राम पंचायत फाटाखेडा ही दर्ज रही।
- प्रतिवादी क्रम–1 तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से पेश जवाब में भी विवादित आराजी के खेल भराई से मुक्त होने सम्बन्धी कोई सक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने का उल्लेख किया है।
- वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की जमाबन्दियों में मेरा उपकृषक या कृषक के रूप में नाम दर्ज नहीं है। किसी सरकारी आदेश से माफी खेल भराई के हट जाने सम्बन्धी कोई आदेश/परिपत्र आदि पेश

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

31/10 सहायक कलक्टर (मुख्यालय) को

नहीं किया है।

- इस प्रकार विवादित आराजी आज भी खेल भराई ही दर्ज होने के कारण वादी अपने कथन की पुष्टि करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

(ii) *आया वादी विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
- वादपत्र की मद–2 और बहस में वादी की ओर से कथन किया गया कि उक्त आराजी पर वादी व उनके पूर्वज 70 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त है।
- प्रकरण में पेश सभी जमाबन्दियों में विवादित आराजी माफी खेल भराई ही दर्ज चली आ रही है।
- वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी पूर्व में कभी उनके पूर्वजों के खाते दर्ज रही हो या किसी विधिसंगत प्रक्रिया से कभी वादी अथवा उसके पूर्वजों को आवंटित की गई है।
- वादी की ओर से पेश किसी भी राजस्व अभिलेख में उक्त विवादित आराजी वादी अथवा उसके पूर्वजों के नाम खुदकाश्त दर्ज नहीं रही है और ना ही वादी उक्त आराजी पर कोई लगान करता है।
- तहसीलदार की ओर से पेश जवाब दावा में अवगत कराया है कि ग्राम के पशुओं के पानी पिलाई हेतु खेल भरने के स्वरूप में उक्त भूमि काम में ली जाती है जिससे यह एक गोचर भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(1) के अनुसार गोचर भूमि पर खातेदारी दिया जाना प्रतिबन्धित है।
- अधिनियम की धारा 5(44) में यह प्रावधित है कि अतिक्रमी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो कि बिना किसी अधिकार के विवादास्पद जमीन पर काबिज रहता है या कब्जे पर बना रहता है और प्रकरण में पेश मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित आराजी पर वादी और उनके पूर्वजों का अतिक्रमी के रूप में कब्जा काश्त होना ही प्रकट होता है।
- इसी कब्जे के आधार पर आराजी को माफी खेल भराई से हटाई जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु की गई कार्यवाही का भी उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
- विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो।
- The law is settled : ONCE A TENANT, ALWAYS A TENANT.
- इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)
4	धारा 88 के अन्तर्गत केवल मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम धरमा 1988 आर.आर.डी. 364)

- उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित आराजी वादी अथवा उनके पूर्वजों के खाते दर्ज रही होने और आवंटित की गई होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहने के कारण यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(iii) *आया विवादित आराजी प्रारम्भ से ही माफी खेल भराई दर्ज रही है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था।
- वादी की ओर से पेश विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2013–2016, 2033–2036 एवं 2060–2063 के अनुसार विवादित माफी खेल भराई दर्ज है।
- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा में भी विवादित आराजी के माफी खेल भराई दर्ज रही होने का उल्लेख किया है।
- वादी की ओर से अपने बयानों में भी विवादित आराजी के माफी खेल भराई दर्ज होने के कथन को स्वीकार किया गया है।
- अतः मुताबिक राजस्व अभिलेख कथन की पुष्टि होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

(iv) *अनुतोष ?*

वादी की ओर से पेश उक्त प्रकरण में विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होने के आधार पर विवादित आराजी को खेल भराई के स्थान पर स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। वहीं, प्रतिवादी ने, विवादित आराजी प्रारम्भ से ही माफी खेल भराई दर्ज होने के आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

8. उपरोक्तानुसार प्रकरण में तय की गई तनकीयात का विवेचन करने, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मुताबिक भौका पर्चा रिपोर्ट विवादित आराजी पर वादी का तथा वादी से पूर्व उसके पिता का कब्जा काश्त रहा है तथा मुताबिक राजस्व अभिलेख विवादित आराजी प्रारम्भ से ही माफी खेल भराई के नाम ही दर्ज रही है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा में पेश अपील में वादी द्वारा साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने का निवेदन किये जाने के आधार पर प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, फिर भी वादी ने, विवादित आराजी स्वयं के अथवा उसके पूर्वजों के खाते दर्ज रही होने या फिर कभी आवंटित की गई होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में वादी ने खातेदारी घोषणा तो चाही है लेकिन दावे की सम्पूर्ण कार्यवाही में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है किस आधार पर विवादित आराजी को माफी खेल भराई से हटाकर वादी के खाते दर्ज की जावे। प्रकरण में वादी, अपने द्वारा चाहे गये अनुतोष की प्राप्ति का कोई औचित्य सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः वादपत्र में अंकित कथनों की पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्यों के माध्यम से दावा सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/10/22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]